

#### May 16, 2024

National Stock Exchange of India LimitedBSE LimitedExchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra<br/>Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -<br/>400051Corporate Relationship Department<br/>Phiroze, Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,<br/>Mumbai-400001NSE Symbol: CSLFINANCEBSE Scrip Code: 530067

Dear Sir / Ma'am,

# Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") – Newspaper Publication.

Pursuant to above mentioned regulations, please find enclosed herewith the copy of Newspaper cuttings of the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2024 as approved by the Board of Directors in their Meeting held on May 15, 2024 and published in Economic Times (English edition) and Navbharat Times (Hindi edition) on May 16, 2024.

This is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully, For CSL Finance Limited

#### **Rohit Gupta**

Managing Director (DIN: 00045077)

Encl: a/a

#### 'Buyers Want Bigger, Better Homes and are Willing to Pay for Them'

When people are

watches and cars, I see no reason why

real estate

AAKASH OHRI

DLF Home Developers

nle to trade Majority of the

Do you see this trend continuing?

You always have to be cautious in life. No one knows what will happen tomorrow, but as long as e have done the right thing for

the future, I am not worried. The

n informed decisions wanting

buyers are end users and have

to live in those ecosystems

DLF is betting big on increasing super luxury consumption and 90% of the 11.6 million square feet of projects it plans to launch in FV25 – with total revenue potential of 8x 36,000 cror – will be in the super luxury segment. The proposed launches will include apartments priced Rs 60 crore and above in Gurgaon and villas in Goal above in Gurgaon and villas in Goal above in Gurgaon and villas in Goa priced more than Rs 50 crore, Aakash Ohri, joint managing director at DLF Home Developers Ltd, told ET's **Faizan Haidar** in an

# There are some concerns over projects getting sold out within days of Jaunch. DLF has sold out three projects in the last 18 months. Do you think the trend is sustainable in the long term? We have seen the time when we had Rs 17,000-crore worth of across two projects, we have received cancellation of just 34 apartments. We collect Rs 50 lakh rupees as deposit money and it is not a small amount of money for

unsold inventory. We have seen the struggle and pain and we don't want to go back to those days... We have to motivate brokers and investors. This is the time when people are believing in the DLF story and I don't have to prove

myself to a third party. My record books are clean and My record books are clean and anyone can come and do random checks. If people are now coming to DLF and believing that their aspirations will be met (and) their monorly is safe. We are not only selling fast, collecting more money faster, we are also making sure that our delivery schedules are on time to customer expectations.

But have you seen cancellation and trading in the projects you launched and sold within days? n over 2,200 apartment

#### Super luxury is dominating your unches as per the investor resentation. Has DLF decided to

focus only on this segment?
DLF has worked very hard from
the Aralia days to build the super uxury business. We have looked at the world for ideas and we have tried to keep it as futuristic as possible

Land is not cheap in Gurgaon and when we compare Gurgaon to any other place, you must understand that that is where the demand is. And, therefore, super luxury is a business that DLF has invested in and it is a serious business for DLF.

#### Your pipeline for FY25 is huge, with Rs 36,000-crore worth projects. How have you planned the launches?

We have Mumbai where the first phase will be 900,000 sq ft with a sales potential of Rs 3,000 crore while Goa will have 62 villas on a 38-acre site with a total sales potential of Rs 2,500 crore. There will be another phase of Privana (in Gurgaon), which will be more than Rs 10,000 crore. And we have than Rs 10,000 crore. And we have LuxS, an ultra-luxury project in DLFS, which will have a total sales potential of Rs 25,000 crore, but we will not sell it in one go. The price point of The Camellias is giving Mumbai a run for their money. We might have given a sales guidance of Rs 3,500 crore for super luxury, but it doesn't mean that we are going to stop there. Suppose the business demand is

such that there is more to be sold we will do it

the future, I amn of worried. The business historically has been cyclical. The only difference right now I am seeing in the last two-three years after Covid (is that) people have suddenly started to believe that life is finite and, therefore, let's live it up. 50, people are consciously spending more money on their homes. They are Jindal Stainless Eyes 20% Volume Growth in FY25

#### IIFCL Net Profit Rises 44% to ₹1,552 cr in FY24

New Delhi: India Infrastructure Fi-nance Company (IIFCL) Wednesday reported a 44% rise in net profit to 1,552 crore for the full financial year 2023-24. A company statement said the improved profitability has been ac-companied by lower non-performing and the profit of the profit of the profit of the following the profit of the profit of the 10 0.46% from 1.41% in fiscal 2022-23.

The company also recorded its highest ever annual sanctions and disbursements during the period under review. At ₹42,309 crore, sanctions were 45% higher than fiscal 2022-23 while disbursals at ₹22,356 crore roses tool at ₹51,017 crore. IFICL is a government-owned Infrastructure Finance Company (FC). It has provided finance for airports, roads, tunnels,

of funds....I am sure it is only a draft and it will be reviewed after consul-tations with stakeholders," Jaishan-kar said.

kar said.

According to him, while the move may affect banks that lend to infrastructure, IFCs like IIFCL are unlikely to feel much impact since they have already moved to Indian Accounting Standard (Ind AS).

"Stendard (Ind AS).

"Stendard (Ind AS) and home stringent home stringent home stringent home stringent accounting," he said.

#### INDAG \*/

#### INDAG RUBBER LIMITED

CIN: L74899DL1978PLC009038

Regd. Office: 11, Community Centre, Saket, New Delhi-110017

E-mail: - info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; Phone: 011-26963172-73

Extract of statement of audited financial results for quarter and year ended 31st March, 2024

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		for the quarter ended (31/03/2024)	for the quarter ended (31/12/2023)	for the quarter ended (31/03/2023)	for the year ended (31/03/2024)	for the year ended (31/03/2023)	for the quarter ended (31/03/2024)	for the quarter ended (31/12/2023)	for the year ended (31/03/2024)
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	6,132.41	6,233.47	6,405.73	25,118.46	24,385.53	6,132.41	6,233.47	25,118.46
2	Net Profit/(loss) before tax and exceptional item	453.04	497.77	810.30	2,183.46	1,724.05	407.31	469.26	2,044.74
3	Net Profit/(loss) after exceptional item and								
	before tax	453.04	497.77	810.30	2,183.46	1,724.05	407.31	469.26	2,044.74
4	Net Profit/(loss) after tax	338.22	363.57	663.09	1,674.90	1,323.66	299.83	349.86	1,558.32
5	Total Comprehensive Income [Comprising								
	Profit/(loss) (after tax) and other Comprehensive								
	Income (after tax)]	409.01	520.57	588.81	2,131.64	1,156.75	370.62	506.86	2,015.06
6	Paid up Equity Share Capital								
	(Face value of Rs 2/- each)	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
7	Other Equity	22,157.91		20,656.27	22,157.91	20,656.27	22,098.45		22,098.45
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)								
	(not annualised)								
	- Basic (in Rupees)	1.29	1.39	2.53	6.38	5.04	1.21	1.36	6.15
	- Diluted (in Rupees)	1.29	1.39	2.53	6.38	5.04	1.21	1.36	6.15

**SURYODAY** 

EARN MORE.

A BANK OF SMILES

1% p.a. for Senior Citizens

FIXED

- The above audited financial results for the quarter and year ended 31st March 2024 were reviewed by the Audit Committee on 13th May, 2024 and approved by the Board of Directors in the meeting held on 14th May, 2024, in accordance with requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The results for the year ended 31st March 2024 have been audited by the statutory auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of the financial results for the year and quarter ended 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange(s under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the year and quarter ended 31st March, 2024 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and Company's website

For Indag Rubber Limited

(CEO & Whole-Time Director)

**CSL Finance** 

Limited

Place: New Delhi

SAVE MORE.

% p.a.

SAVINGS

ACCOUNT

Mumbai: Jindal Stainless is eyeing a 20% growth in its sales volume to 2.5 million tonnes in the current financial year when it will be spending more than ₹5,000 crore on capital expendi-

04 SHOW Net profit slumps 30% to ₹501 crore, revenue down 3%

ORMANCE WITH PURPOSA

mps 30% to ₹501 crore, revenue down 3%

The country's largest producer of stainless steel sold 2.17 million tomes of stainless steel sold 2.17 million tomes of stainless steel sold 2.18 million tomes of stainless steel sold 2.17 million tomes of stainless steel sold 2.17 million tomes of stainless steel sold 2.17 million tomes of stainless steel in marial, and higher freight costs that it could not pass on to costs that it could not pass on to cost that it could not pass on the cost that it could not pa

#### **CSL FINANCE LIMITED**

Regd. Office: 410-412,18/12, 4\* Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110
Corp. Office: 716-717, 7\* floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in;

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

Amount (Rs. in Lak						
March Control		Quarter Ende	Year Ended			
Particulars	31-Mar-24 Audited	31-Dec-23 Un-audited	31-Mar-23 Audited	31-Mar-24 Audited	31-Mar-23 Audited	
Total Income from operations	4,664.58	4,540.40	3,359.00	16,564.87	11,723.69	
Net Profit/(loss) for the period						
(before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,339.15	2,376.48	1,641.57	8,559.60	6,153.13	
Net Profit/(loss) for the period before tax						
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,339.15	2,376.48	1,641.57	8,559.60	6,153.13	
Net Profit/(loss) for the period after tax						
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,857.41	1,671.96	1,189.66	6,336.21	4,562.84	
Total Comprehensive Income for the period						
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other						
Comprehensive Income (after tax)]	1,850.48	1,671.96	1,191.68	6,329.28	4,564.86	
Paid up Equity Share Capital	2,243.62	2,243.29	2,023.84	2,243.62	2,023.84	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	45,239.19	34,228.13	
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)						
(for continuing and discontinued operations)						
Basic	8.15	7.34	5.75	28.60	22.02	
Diluted	8.13	7.32	5.59	28.27	21.40	
Book Value Per Share	207.58	203.39	174.79	207.58	174.79	

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the guarter and year ended on March 31, 2024 filed with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited under Regulation 33 (and other Regulations as applicable) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results is available on the Stock Exchange(s) website viz. https://www.nseindia.com/ and www.bseindia.com respectively and on the company's website at www.cslfinance.in
- 2. The above Audited Financial Results were reviewed & recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 15, 2024.
- 3. The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the principles laid down in The Indian Accounting Standards

On behalf of the Board For CSL Finance Limited Sd/-Rohit Gupta (Managing Director) DIN: 00045077



**AUDITED FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR FY24** 

ered & Corporate Office: Suryoday Small Finance Bank Limited 1101, Sharada Terraces, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614 Suryodaybank.com | CIN:L65923MH2008PLC261472 | Follow us: № 🕅 🕲 🗘

For information on banking products, give a missed-call **©** 99308 99888

मोती बाग। कर्मपुरा। गणेश नगर। मोतीनगर। द्वारका। श्रीनिवासपुरी। शास्त्री नगर। वीरेंद्र नगर। सोनिया विहार। भैरा एन्क्लेव। शाहपुर जट। सीलमपुर। वजीरपुर। जसोला । बाबरपुर। वेलकम। आश्रम। सनलाइट कॉलोनी। भोगल। भजनपुरा। जीटीबी एन्क्लेव।

#### एयरपोर्ट से दो यात्री अरेस्ट, अफीम बरामद



एनबीटी न्यूज,नई दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट के टी-3 से दो भारतीय यात्रियों को ड्रग्स और महंगी घडी तस्करी करने के आरोप में कस्टम विभाग ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 किलो 953 ग्राम अफीम का पाउडर और दो महंगी घडी बरामद हुई है। आईजीआई एयरपोर्ट कस्टम विभाग की जॉइंट कमिश्नर मोनिका ने बताया कि 11 मई को दो यात्री फ्लाइट नंबर 6 ई 1708 से आईजीआई एयरपोर्ट टी-3 पर पहुंचे थे। शक के आधार पर उनके बैग की जांच की गई तो करीब 2.953 किलोग्राम अफीम का पाउडर और दो महंगी घड़ी बरामद हुई। बरामद अफीम पाउडर की कीमत इंटरनैशनल मार्केट में 72 लाख 30 हजार से अधिक आंकी गई है।

### पेंट करते हुए गिरे दो मज़दूर, एक की मौत

■ एनबीटी न्यूज, द्वारका नॉर्थ : द्वारका नॉर्थ इलार्क में बिल्डिंग में पेंट करने के दौरान दो मजदूर नीचे गिर गए। घायल हालत में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान द्वारका सेक्टर-13 निवासी अजय सिंह (42) के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान तरनी जाधव (60) के रूप में हुई है। द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक 14 मई की सबह पुलिस को सुचना मिली कि नेता जी सुभाष अपार्टमेंट पॉकेट-1 के पास एक बिल्डिंग में पेंट करने के दौरान दो मजदूर गिर गए हैं।

#### बीयर के लिए नहीं दिए पैसे तो लूट लिया



■ एनबीटी न्यूज, डाबड़ी: द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डाबड़ी इलाके में एक युवक से बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक से 9 हजार रुपये और अन्य सामान लुटकर फरार हो गए। आरोपियों के जाने के बाद पीड़ित ने मामले की सुचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित राजू कुमार (27) ने बताया कि वह परिवार के साथ सागरपुर में रहते हैं। एक सेल्समैन का काम करते हैं।

#### शकरपुर में गोदाम में आग, मंजदूर की मौत

■ विस, नई दिल्लीः ईस्ट दिल्ली के शकरपुर स्कूल ब्लॉक के एक फ्लैट में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से सतेंदर पासवान उर्फ पव्वा (45) की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की आठ गाडियों ने करीब सात घंटे में आग पर काब पा लिया। पलिस ने क्राइम और एफएसएल टीमों के अलावा बीएसईएस के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को भी इंस्पेक्शन के लिए बुलाया। पुलिस का कहना है कि अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। डीसीपी (ईस्ट) अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि शकरपुर स्कूल ब्लॉक स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने की कॉल पुलिस को मंगलवार देर रात करीब 1 बजे मिली थी।

# रिमांड की कॉपी आरोपी को मुहैया नहीं कराई, इसलिए गिरफ्तारी निरस्त : SC

@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यजिन्तक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ की यूएपीए मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को कानून की नजर में अमान्य और निरस्त है। कोर्ट ने कहा कि रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी के आधार लिखित तौर पर देने होते हैं और मौजूदा मामले में रिमांड ऑर्डर से पहले रिमांड की कॉपी आरोपी प्रबीर और उनके वकील को मुहैया नहीं कराई गई। कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड के आदेश से पहले रिमांड अर्जी की कॉपी आरोपी को मुहैया नहीं कराए जाने से उसकी गिरफ्तारी और रिमांड निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में आरोपी रिहाई का हकदार है। कोर्ट ने शीर्ष अदालत द्वारा पंकज बंसल केस में दिए गए फैसले का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कानुन की नजर में मान्य नहीं है और वह आदेश खारिज किया जाता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम बिना बेल बॉन्ड और स्योरिटी के रिहाई के लिए कह सकते थे। लेकिन चूंकि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ऐसे में आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने बेल बॉन्ड भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को फैसला सरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से अंडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राज पेश हए थे, जबकि याचिकाकर्ता प्रबीर की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हए। अदालत के फैसले के बाद अंडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को अमान्य करार दिया गया है, ऐसे में पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति से रोकना नहीं चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपके पास जो भी कानून के दायरे

पिछले साल 18 अक्टूबर को न्यूज़िक्लक के चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैलिड करार दिया था, जिसके बाद मामला अब सप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई में सिब्बल ने कहा था कि यह मामला जर्नीलस्ट से जुड़ा हुआ है और वह पुलिस कस्टडी में हैं। सिब्बल ने कहा था कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। गिरफ्तारी और रिमांड आदेश से पहले रिमांड की कॉपी नहीं दी गई। यह अनुच्छेद-20,21 और 22 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

में शक्ति है, उसे कानून इजाजत देता है।

#### दिल्ली पुलिस का था दावा, अरेस्ट मेमो दिया गया था

वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अंडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपी को मौखिक तौर पर गिरफ्तारी का आधार बताया गया, साथ ही अरेस्ट मेमो दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून कहता है कि एफआईआर कोई इनसाइक्लोपीडिया नहीं। जांच अधिकारी को अधिकार है कि वह छानबीन करे और चार्जशीट दाखिल करे। सिब्बल की दलील है कि यूएपीए लगाया गया, लेकिन कैसे कनेक्ट है यह नहीं बताया गया।



**हाई कोर्ट का आदेश खारिज:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सदेह नहीं है कि रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी का आधार होता है और रिमांड दिए जाने से पहले वह कॉपी ना तो याची को दी गई और ना ही उनके वकील को मुहैया कराई गई। आरोपी की गिरफ्तारी, रिमांड आर्दश और हाई कोर्ट का आदेश कानून की नजर में अमान्य करार दिया जाता है। **क्यां था मामलाः** स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को प्रबीर और अन्य को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ यएपीए का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें 4 अक्टूबर को निचली अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया था।

ने कहा, आरोपी प्रवीर पुरकायस्था रिहाई के हकदार हैं कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी और रिमांड

कानून की

नजर में

### गिरफ्तारी का आधार बताया गया?

यह सवाल उठा था कि क्या गिरफ्तारी का आधार बताया गया? सप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अरेस्ट मेमो को देखा है और उसमें कहीं भी गिरफ्तारी का आधार नहीं लिखा है। अरेस्ट मेमो में साधारण तौर पर जो परफर्मा होता है, उसमें गिरफ्तारी का औपचारिक कारण दर्ज है। गिरफ्तारी का कारण और गिरफ्तारी के आधार में फर्क होता है। इसमें डिटेल में आधार गिनाए जाते हैं कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी थी और आरोपी को मुहैया कराना जरूरी है. क्योंकि उसके आधार पर आरोपी रिमांड के दौरान अपना बचाव कर सके और जमानत के दौरान दलील पेश कर सके।

### समझिए खबरों के अंदर की बात

#### यह केस क्यों बनेगा नज़ीर?

मौजुदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। दरअसल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल केस में शीर्ष अदालत के फैसले को रेफर किया है। पिछले साल

अक्टबर में सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल केस में कहा था कि आरोपी को गिरफ्तारी के बारे में बताया जाए कि उसकी गिरफ्तारी का आधार क्या है और यह उसे लिखित में बताना जरूरी है। इसके लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता। अब मौजूदा मामले में आरोपी प्रबीर की गिरफ्तारी और रिमांड को इसी आधार पर अमान्य करार दिया गया कि उन्हें रिमांड के दौरान लिखित में नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी का आधार क्या है।

## अब स्पेशल सेल ढूढ रही दूसरे लीगल ऑप्शन

■ **विस, नई दिल्ली**: न्युजिक्लक केस अपनी जांच के तथ्यों को सही सिब्बित करने विकाल पेश करने का मौका मिला। हालांकि में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के एक अहम के और क्या विकल्प हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं मामले में स्पेशल सेल ने मार्च में करीब फैसले से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर स्पेशल सेल के आला अफसर केंस 10,000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर की वर्किंग स्टाइल सवालों के घेरे में हैं। से जुड़ी फाइलों को खंगालने में बिजी रहे। की थी।न्यूजक्लिक पर चीन से फंड लेकर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी

को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार मामला सही है या नहीं।

चार्जशीट के फैक्ट्स कितने सही हैं, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम

गई प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में केस की तप्तीश से लेकर इसी साल अपनाई गई, उसमें हडबड़ी ज्यादा थी। न डिवाइस जब्त किए गए थे। पूछताछ के कवायद पर स्पेशल सेल आगे क्या करेगी। आरोपी को अपनी दलील रखने के लिए को सेल ने गिरफ्तार कर लिया था।

मगर अधिकारी इस मामले में सूत्र बता रहे हैं चुप्पी साधे रहे। सेल सुत्रों ने कि गिरफ्तारी बताया कि लीगल ओपिनियन की जो प्रक्रिया

अपनाई गई, किया जा रहा है। उसमें हडबड़ी ज्यादा थी कोर्ट ने सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर अपनाई मुश्किल होता है तो यह कैसे उलट गया। थी। इस दौरान 9 महिलाओं समेत कुल

देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

चार्जशीट में न्यूजिक्लक और इसके और दूसरे विकल्पों पर विचार एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ का प्रमुख तौर पर नाम था। पिछले साल अक्टूबर में वैसे तो यूएपीए के मामले न्यूजिक्लक के एडिटर समेत कई पत्रकारों में जमानत मिलना बहुत के ठिकानों पर स्पेशल सेल ने रेड की स्त्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया 46 लोगों से पूछताछ की गई। इलेक्ट्रॉनिक मार्च में चार्जशीट दायर करने तक की पुरी तो गिरफ्तारी का आधार बताया गया, ना ही बाद प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती

# चोरी, लूट के इंटरस्टेट ्गैंग के सरगना समेत 3 अरेस्ट

स्पेशल सेल ने लूट के इंटरस्टेट गैंग सरगना और उसके गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रफीक शेख उर्फ रोका, शाबेद अली खान और शेख मयदल के रूप में हुई है। तीनों जहांगीरपुरी के सीडी पार्क में रहते हैं और मूल रूप से वेस्ट बंगाल के हैं। सेल का दावा हैं कि रफीक शेख और शाबेद अली खान जहांगीरपुरी के हिस्ट्रीशीटर हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक,

100 से युपी में 100 से अधिक अधिक वारदातों में वारदातों शामिल रहे हैं। इन में शामिल

तीनों के पास से .32 रहे हैं बोर की तीन सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। ओर से 15000 रुपये का इनाम भी घोषित था। तीनों के पास से थाना महरौली और और जुलरी भी बरामद की गई है।

डीसीपी अमित कौशिक के मुताबिक, एसीपी वेद प्रकाश के सुपरविजन में इंस्पेक्टर पवन कुमार और सतविंदर सिंह रपेशल सेल की एक टीम पिछले 4 महीने के सदस्यों का पता लगाने और गिरफ्तार

में छिप जाते थे। 8 मई को एक इनपुट मूवमेंट के बारे में अलर्ट करते हैं।



तीनों जहांगीरपुरी में रहते हैं



तीनों के पास से पिस्टल बरामद

रफीक शेख उर्फ रोका पर यूपी पुलिस की 🏻 मिला कि रफीक शेख अपने गिरोह के दो सदस्यों के साथ एक होटल, प्रेम नारायण सड़क, चुड़ीवालान, जामा मस्जिद इलाके थाना पुल प्रह्लादपुर एरिया से लूटा गया कैश ) में मौजूद है। टीम ने रेड करके तीनों को होटल से पकड लिया। रफीक शेख उर्फ रोका बदमाशों के गिरोह का सरगना है। सेल का दावा है कि गिरोह के लोग परे भारत में पॉश इलाकों में बंद घरों की रेकी करते हैं। की टीम ने आरोपियों को पकड़ा। दरअसल. इसके बाद चिन्हित घर को निशाना बनाते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद रफीक से रफीक शेख उर्फ रोका और उसके गिरोह शेख उर्फ रोका और साबिद अली खान फ्लाइट से कोलकाता चले जाते थे। जांच करने के लिए काम कर रही थी। ये आरोपीं में पता चला कि आरोपी रफीक शेख लुटे बार-बार अपना ठिकाना बदल लेते थे। गए पैसों का कुछ हिस्सा सीडी ब्लॉक झुग्गी खासकर पुलिस से बचने के लिए) क्लस्टर, जहांगीरपुरी में समर्थकों को बांटता कभी दिल्ली तो कभी वेस्ट बंगाल. बिहार है। ये समर्थक जाससी करते हैं और पलिस

### गोगी गैंग के गुर्गों को गाड़ी, हथियार मुहैया कराने वाला बदमाश दबोचा

विशेष संवाददाता, रोहिणी

रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने ऑपरेशन 'पैथर-क्लॉ' के तहत गोगी गैंग की कमान संभाल रहे गैंगस्टर रोहित मोई के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंजीत उर्फ 📗 रोहिणी में

मोनू के रूप में हुई फायरिंग है। यह दिल्ली के की जांच में कराला गांव का रहने पकड़ा गया वाला है। पुलिस

अफसर का दावा है कि आरोपी गैंग के और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराता था।

फरवरी को बुध विहार थाने में रंगदारी पहले पीड़ित को अनजान नंबर से कॉल के बारे में इनपुट मिला।



आया। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित मोई (गोगी गैंग) का बताकर एक करोड़ रंगदारी की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अगले दिन बाइक सवार दो बदमाशों ने पीडित पर उस समय गोली चला दी, जब वह ऑफिस में बैठा था। पुलिस ने संतोष बाकी मेंबर को वारदात करने के लिए न बिहारी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार सिर्फ शेल्टर देता था बल्कि उन्हें हथियार कर लिया था जबकि तफ्तीश में टीमें जुटी हुई थीं। इस बीच 14 मई को दिनेश कराला पुलिस के मुताबिक, इसी साल 15 (गोगी गैंग) के सक्रिय सदस्य मंजीत उर्फ मोनू, जिसने उस फायरिंग की वारदात मांगने और ऑर्म्स एक्ट के तहत मामला में शामिल शूटरों को शेल्टर, गाड़ी और दर्ज किया गया था। दरअसल, एक दिन हथियार उपलब्ध कराए थे, उसके मुवमेंट

CSL Finance Limited

# क्रॉस फायरिंग के बाद बदमाश ने किया सरेंडर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

गोली बुलटप्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिसकर्मी ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश घबरा गया और सरेंडर कर दिया। आरोपी की पहचान सबोली एक्सटेंशन निवासी अवनीश उर्फ मनीष (22) के तौर पर हुई है। इससे

बरामद हुई। डीसीपी (क्राइम) संजय कमार सैन ने बताया कि हर्ष विहार इलाके में 30 अप्रैल को प्रशांत उर्फ मिंटू पर फायरिंग हुई थी, जो जख्मी हो गया था। पुलिस

गाजीपुर स्थित पेपर मार्केट पहुंचने की खबर जैकेट पर लगी।



आरोपी से पिस्टल, कारतुस बरामद

पिस्टल, चार कारतूस और चोरी की बाइक मिली। एसीपी रोहिताश की देखरेख में बनी हर्ष विहार में फायरिंग कर कातिलाना हमला करने का आरोपी से रोकने की कोशिश की। पलिस


इंस्पेक्टर लिछमन की टीम ने देरा रात 10:40 बजे स्कटर पर आ रहे आरोपी को रुकने का इशारा किया। स्कृटर सवार भागने लगा तो एसआई देवेंदर ने अपनी कार

ने हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, केस दर्ज किया। एएसआई महिंदर सिंह और लेकिन उसने पिस्टल निकाल कर फायर सिपाही अनिल कुमार को आरोपी मनीष के कर दिया, जो सिपाही अनिल की बुलटप्रुफ

### CSL FINANCE LIMITED

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. Office: 716-717, 7th floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in;

Web: www.cslfinance.in)



Revenue 41.29% Y-O-Y

FY 2023: 6,153.13



FY 2023: 749

AUM 38% **Y-O-Y** 

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

Amount (Rs. in Lakhs)								
Double down		Quarter Ende	Year Ended					
Particulars	31-Mar-24 Audited	31-Dec-23 Un-audited	31-Mar-23 Audited	31-Mar-24 Audited	31-Mar-23 Audited			
Total Income from an autions	4,664.58	4,540.40	3,359.00	16,564.87	11,723.69			
Total Income from operations	4,004.58	4,540.40	3,359.00	10,304.87	11,723.69			
Net Profit/(loss) for the period								
(before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,339.15	2,376.48	1,641.57	8,559.60	6,153.13			
Net Profit/(loss) for the period before tax								
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,339.15	2,376.48	1,641.57	8,559.60	6,153.13			
Net Profit/(loss) for the period after tax								
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,857.41	1,671.96	1,189.66	6,336.21	4,562.84			
Total Comprehensive Income for the period								
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other								
Comprehensive Income (after tax)]	1,850.48	1,671.96	1,191.68	6,329.28	4,564.86			
Paid up Equity Share Capital	2,243.62	2,243.29	2,023.84	2,243.62	2,023.84			
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	45,239.19	34,228.13			
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)								
(for continuing and discontinued operations)								
Basic	8.15	7.34	5.75	28.60	22.02			
Diluted	8.13	7.32	5.59	28.27	21.40			
Book Value Per Share	207.58	203.39	174.79	207.58	174.79			

Place : Noida

Date: 15.05.2024

- 1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2024 filed with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited under Regulation 33 (and other Regulations as applicable) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results is available on the Stock Exchange(s) website viz. https://www.nseindia.com/ and www.bseindia.com respectively and on the company's website at www.cslfinance.in
- 2. The above Audited Financial Results were reviewed & recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 15, 2024

3. The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the principles laid down in The Indian Accounting

Standards.

On behalf of the Board For CSL Finance Limited Sd/-**Rohit Gupta** (Managing Director) DIN: 00045077

# 'डेयरियों को लेकर हम दहशत नहीं फैलाना चाहते, पर हालात बहुत खराब'

■ नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपर में डेयरी चलाने वाले कछ किसानों की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों की बदहाली से जुड़े मामले में पक्षकार के तौर पर सुने जाने की मांग करने पर बुधवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हम

शहर में दहशत नहीं डेयरी चलाने फैलाना चाहते पर. वालों की पर इन नामित डेयरी कॉलोनियों में हालत बहत खराब है। कोर्ट ने आवेदनकर्ता से कहा कि वह हमारे सवालों का जवाब लेकर और

पक्षकार के रूप में सुने जाने की मांग पर HC की टिप्पणी

कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट में आए।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और कि आवेदनकर्ता का कहना है कि संबंधित बार अपने वकीलों को वहां भेजकर जांच का जवाब लेकर और कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड दिया है।



कराई है। वहां की तस्वीरें उन इलाकों की दयनीय स्थिति को बयां करती हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत को बताएं कि क्या उनके पास गाजीपुर में डेयरी चलाने के लिए जरूरी चारों लाइसेंस हैं? क्या वह भरोसा दिला सकते हैं कि उनके मवेशी लैंडफिल साइट के पास चरने नहीं जाएंगे? मवेशियों को अवैध तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं? डेयरियों में जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आवेदन करने वाले के वकील से सवाल मवेशियों को जरूरी मेडिकल सविधा दी उठाया कि क्या ये लोग किसी दूसरी दुनिया जा रही है? इन सवालों के साथ कोर्ट ने में रहते हैं? क्या उन्हें इन इलाकों की आवेदनकर्ता से यह भी बताने के लिए कहा

बदहाली नजर नहीं आती? वकील ने कहा 🏻 कि इलाके में कितनी डेयरियां चल रही हैं। बेंच ने कहा कि जगह-जगह पर मरे मामले में डेयरी चलाने वाले किसानों का हुए मवेशी, ऑक्सीटोसिन का अंधाधुंध पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने इस्तेमाल और सफाई की अनदेखी की बोला कि हमने इस मामले में अब तक जो तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई, जिसके भी आदेश जारी किए, वो कोई कल्पना पर बाद आदेश जारी किए। इसके बाद कोर्ट ने आधारित नहीं है। हमने एक बार नहीं, दो आवेदनकर्ता से कहा कि वह उक्त सवालों वादी को अदालत के अपमान



विस, नई दिल्ली : एक वकील को अदालत की अवमानना का आरोपी मानते हुए दिल्ली हाई ने कहा कि एक वादी अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे अवमानना से भरे आरोप लगाने और अदालत के अधिकार को कमजोर करने की आजादी नहीं है। कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई के डिजिटल प्लैटफॉर्म के 'चैट बॉक्स' में एक वकील की अवमानना भरी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए यह बात कही। हाई कोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस

देखने के बाद कोर्ट में आए। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश पारित कर लैंडफिल साइट के पास बसी डेयरी कॉलोनियों-गाजीपुर और भलस्वा को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश पर अमल का दिल्ली सरकार को निर्देश